



भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास : एक अध्ययन

डॉ. पी.एस. दायमा

प्राचार्य, गोविन्दम टी.टी. कॉलेज, बानसूर, अलवर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

यद्यपि भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है फिर भी इसका ठीक रूप से विकास ब्रिटिश काल में हुआ प्रतीत लगता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत गुरु ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे तथा गुरु की अनुपस्थिति में अग्र शिष्य प्रणाली के तहत अध्यापक-शिक्षा का संचालन किया जाता था तथा वरिष्ठ शिष्य से अध्यापक का कार्य लिया जाता था। बौद्धकाल में भी छात्रों को शिक्षा देने का कार्य भिक्षु एवं परिवाजक किया करते थे तथा इन्हें ही अध्यापक के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों से पूर्व भी मुस्लिम कालीन समय में अध्यापक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था परन्तु उस समय अध्यापक शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शैक्षिक संस्थाएं मदरसों और मकतबों के रूप में थी और केवल मूल्ला-मौलवी ही अध्यापक के रूप में काम करते थे। वास्तव में आधुनिक रूप में अध्यापक शिक्षा का सूत्रपात अंग्रेजों के समय में ही हुआ।

अध्यापक शिक्षा का विकास क्रम

देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता महसूस की गई है। अच्छी शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक तथा योग्य अध्यापक के लिए श्रेष्ठ अध्यापक शिक्षण संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम को आज समस्त भारत में वृहद पैमाने पर संचालित किया जा रहा है ताकि भारत के भावी पीढ़ी का निर्माण कक्षा कक्षा में किया जा सके। अध्यापक-शिक्षा के अतीत में जाने पर हमें ज्ञात होता है कि इतिहास की दृष्टि से भारत में अध्यापक शिक्षा का निम्न प्रकार से विकास हुआ है-

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. मोनिटोरियल व्यवस्था | - | 1800-1880 |
| 2. अध्यापक प्रशिक्षण | - | 1882-1940 |
| 3. अध्यापक शिक्षा | - | 1941-1947 तक तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर |

1. मोनिटोरियल व्यवस्था (1800-1880):- 19वीं सदी के आरम्भ में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कोई विशेष विस्तार नहीं था। इसलिए अध्यापक शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। शुरु के दिनों में भारत में मोनिटोरियल व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत कक्षा को कुछ भागों में बाँटकर वरिष्ठ छात्र की देख-रेख में रखा जाता था जिसको 'मोनीटर' कहा जाता था और इसी से 'मोनिटोरियल व्यवस्था' का सूत्रपात हुआ माना जाता है। सबसे पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की शिक्षा परिषदों ने अध्यापकों की शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1826 ई० में सबसे पहला अध्यापक शिक्षा केन्द्र 'नारमल स्कूल' मद्रास में स्थापित किया गया, तदुपरान्त बंगाल के सीरमपुर में डॉ० कैरे ने अध्यापक शिक्षा के लिए नारमल स्कूल का शिलान्यास रखा। बम्बई

में देशी शिक्षा परिषद् ने 25 अध्यापकों को प्रशिक्षित कर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को सुधारने के लिए प्रान्त के विभिन्न भागों में इन्हें प्रबन्धक बनाकर भेजा।

1819 ई० में कलकत्ता विद्यालय परिषद् का गठन कर अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया गया। 1826 ई० में मद्रास में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय खोला गया। इसी तर्ज पर आगरा में 1856 में, मेरठ में 1856 में, बनारस में 1857 में तथा इलाहबाद में 1857 ई० में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों की स्थापना की गई।

1854 में वुड के घोषणा पत्र के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु और भी विद्यालय खोले जाने चाहिए। इस घोषणा-पत्र के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दिया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग बढ़ गई और अध्यापक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। वुड घोषणा-पत्र के बाद भारत मंत्री लार्ड स्टेन्ले ने अध्यापक प्रशिक्षण को महत्व देते हुए अपने आदेश पत्र में लिखा-"कम्पनी के संचालकों ने जिस सीमा तक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना का विचार प्रकट किया था उस सीमा तक यह कार्य नहीं किया गया है।" 1880 ई० से 1882 ई० के बीच बम्बई प्रान्त में पुरुषों के लिए 7 तथा स्त्रियों के लिए 2 प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये। इस तरह 1882 ई० तक सम्पूर्ण भारत में पुरुषों के लिए 116 तथा स्त्रियों के लिए 15 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ काम करने लगी थीं जिनमें प्राथमिक स्तर के 3886 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया।

2. अध्यापक प्रशिक्षण - (1882-1940):- शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने 1882 ई० में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा 19वीं सदी के अन्त तक मद्रास, लाहौर, राजसुन्दरी, कुरसांग, इलाहबाद तथा जबलपुर में 6 प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये तथा 50 प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की।

1904 ई० में लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में भी अध्यापक शिक्षा की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रकट किया गया तथा योग्य एवं अनुभवी अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए 'भारतीय शिक्षा सेवा' नामक की संस्था का सृजन कर प्रशिक्षण संस्थाओं में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया। लार्ड कर्जन के इस नीति का भव्य स्वागत किया गया तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि की गई। कर्जन निति ने अध्यापक शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया:- संस्थाओं में अच्छे साधनों को जुटाना, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कर्मचारियों का चयन, स्नातक के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा गैर स्नातक के लिए द्विवर्षीय प्रशिक्षण, सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पर बल, अभ्यास के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था तथा

प्रशिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों में आपसी तालमेल पर ध्यान, आदि।

1913 ई0 के सरकारी प्रस्ताव में भी अध्यापक प्रशिक्षण को महत्व दिया गया तथा एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि "शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण की अनुमति प्रदान न की जाए जब तक कि उसके पास इस सम्बन्धी प्रमाण-पत्र न हों।" इससे अध्यापक शिक्षा को एक नई दिशा मिली।

1919 ई0 में सैडलर आयोग स्थापित किया गया जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये— प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना, शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि का प्रस्ताव, स्नातक स्तर पर शिक्षा को एक विषय के रूप में मान्यता, विश्वविद्यालय में भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देना आदि। इस सुझाव के परिणामस्वरूप 18 में से 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।

1929 ई0 में हर्टाग समिति ने सुझाव दिया कि अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये। इसके परिणामस्वरूप अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुए। 1922 ई0 में 172 नार्मल स्कूल थे तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 12 थी। 1937 ई0 में नार्मल स्कूलों की संख्या 346 हो गई किन्तु प्रशिक्षण संस्थाएं पूर्ववत् ही रहीं।

1937 ई0 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन आन्दोलन का जन्म हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नई शिक्षा नीति को लोगों के सामने रखा जो कालान्तर में 'बेसिक शिक्षा' के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1937 ई0 में वर्धा सम्मेलन में गांधी ने अध्यापकों को शिक्षा के नये दर्शन और नई विधियों में प्रशिक्षित किये जाने पर बल दिया। इस आधार पर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जन्म हुआ। बेसिक शिक्षा के साथ-साथ 1937 में एवटबुड की रिपोर्ट में भी अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने सुझाव दिये। जिसके अनुसार अभिनव तथा सामुदायिक पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। इस आधार पर 1940-41 के आस-पास देश में 641 नार्मल स्कूल तथा 25 प्रशिक्षण महाविद्यालय हो गये।

3. अध्यापक शिक्षा (1941 से 1947 तक तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक) :- स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में विकासात्मक तथा गुणात्मक सुधार लाने के लिए 1944 ई0 में **सर जान सार्जेन्ट** ने अपनी विस्तृत योजना में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार लाने के लिए सुझाव दिये। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उसने निम्न सुझाव दिये—

स्नातक स्तर के प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाये, प्रशिक्षण विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाये, विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाये, तीन श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाये।

इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व अध्यापक शिक्षा को एक अलग क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया। इसके लिए भारत में अनिवार्य, बुनियादी और व्यावसायिक एवं प्राविधिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया गया। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों ने भी अध्यापक शिक्षा को मजबूत करने के सुझाव दिये।

स्वतंत्रता के पश्चात् 1949 ई0 में डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 'विश्वविद्यालय आयोग' स्थापित किया। इसने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये —

1. शिक्षा का उद्देश्य कुछ पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करना या उसका स्मरण करना ही नहीं बल्कि जीवन को सही रूप से जीना भी है।
2. शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना अपेक्षित है जिसके लिए पाठ्यक्रमों को पुनर्प्राकृत किया जाये।
3. सैद्धान्तिक विषयों की तुलना में अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाये।
4. शिक्षण अभ्यास के लिए उचित स्कूलों का चयन किया जाये।
5. योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाये।
6. विद्यालय में हो रही गतिविधियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने पर बल।
7. पाठ्यक्रम समयानुसार तथा परिस्थित एवं आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक बनाया जाये।
8. एम0 एड0 के लिए अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाये।

1952 ई0 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए डॉ0 ए0 एल0 मुदालियर की अध्यक्षता में "माध्यमिक सुधार आयोग" स्थापित किया गया। इस आयोग ने अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया तथा निम्न सुझाव दिये—

1. स्नातक स्तर के लिए एक वर्ष तथा गैर स्नातक स्तर के लिए दो वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण हो।
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालय से जुडी हों तथा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान किया जाये।
3. छात्राध्यापक पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में भी प्रशिक्षित हों।
4. प्रशिक्षणार्थी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।
5. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, वर्कशाप अभिनवन कार्यक्रमों आदि के क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधाये प्रदान की जायें।
6. विशिष्ट एवं सेवारत शिक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएं।
7. स्त्रियों के लिए अल्पकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हों।
8. सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा का भी ध्यान रखा जाये।
9. प्रशिक्षित स्नातक 3 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद ही एम0 एड0 के लिए प्रवेश करें।
10. छात्रों के दृष्टिकोण में सुधार लाने हेतु विभिन्न विधियां अपनायी जानी चाहिए।
11. छात्र अध्यापक को सभी विधियों का ज्ञान दिया जाये।
12. अल्पकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था भी होने चाहिए।
13. एक ही प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापक को समान वेतन दिया जाये।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की स्थापना

:- 1961 ई0 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियों के निर्धारण करने तथा लागू करने हेतु एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के नाम से स्वायत्त संगठन स्थापित किया। यह संस्था शिक्षा के प्रत्येक पहलू में अनुसंधान की व्यवस्था करती है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार करना इसका प्रमुख कार्य है और विद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापक शिक्षा की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 ने देश में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय— अजमेर, भोपाल, मैसूर तथा भुवनेश्वर में स्थापित किये, जहां अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसी प्रकार केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान दिल्ली भी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय महाविद्यालय समय-समय पर नये-नये अनुसंधानों से अध्यापकों को अवगत कराने का काम करते हैं। अध्यापक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए तथा सर्वांगीण विकास के लिए 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और अध्यापक शिक्षा का विकास नामक आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने भी अध्यापक शिक्षा में सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा प्रभावी शिक्षण योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1973 ई0 में 'राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद (NCTE)' का भी गठन इस उद्देश्य से किया गया कि अध्यापक शिक्षा में सुधारात्मक पहल किया जाये। इस संस्था ने 1993 ई0 से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को विशेष रूप से प्रायोजित करने का कार्य किया है। आज भारत में किसी भी प्रकार के अध्यापक शिक्षण संस्थान को इसी परिषद् की स्वीकृति के बाद मान्यता प्रदान की जाती है। इस परिषद् ने अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए आज संख्यात्मक विकास को प्राथमिकता प्रदान करना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप आज भारत में कुकुरमुत्ते की तरह अध्यापक शिक्षण संस्थान खुल गये हैं जहां अध्यापक शिक्षा की गरिमा एवं उद्देश्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए योग्य, कर्मठ, व्यावसायनिष्ठ, निष्ठावान एवं चरित्रवान अध्यापकों का अकाल सा हो गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षण संस्थानों की संख्या असीमित है किन्तु अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता का विकास बिल्कुल सीमित है। आज योग्य अध्यापक के निर्माण करने में हमारा समाज, नीति तथा सरकार की सोच नकारात्मक है। लोग सार्टकट रास्ते से मात्र डिग्री लेकर सिर्फ धन कमाने की लालसा हेतु प्रशिक्षण को महत्व देते हैं। अतः जरूरी है कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रियात्मक बनाने में पर्याप्त सहयोग प्रदान कर भविष्य के लिए एक अच्छे अध्यापक तैयार करने की नीति को हमें क्रियान्वित करने में सहयोग करना चाहिए और सरकार तथा इससे सम्बन्धित परिषद् को भी इस दिशा में ठोस एवं सार्थक पहल करने की सोच को विकसित करना चाहिए, तभी अध्यापक शिक्षा के महत्व को राष्ट्र में स्थापित किया जा सकेगा और तभी हम भारत को सबल राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र में स्थापित कर सकने में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ

1. मालती सारस्वत : भारतीय शिक्षा का विकास और समस्यायें, रस्तोगी, पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ
2. लाल, रमन बिहारी : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी, पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ
3. जायसवाल, डॉ. सीताराम : पाश्चात्य शैक्षिक विचार धारा का तथा भारतीय शिक्षा का विकास
4. गुप्ता, डॉ. एस.पी. : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद 1995
5. मालती सारस्वत : भारतीय शिक्षा का विकास और समस्यायें, रस्तोगी, पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ
6. गिजुभाई बंधेका : ऐसे हो हमारे शिक्षक, गीतांजली प्रकाशन, जयपुर
7. हरिवंश तरुण : मानक शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाज शास्त्र,